न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (कैम्प डीग)

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 26/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/307

उनवान

विनोद कुमार दत्तक पुत्र रतन सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामां जिला डीग।

.....अपीलान्ट/वादी

बनाम

1. निर्मला पुत्री रतनसिंह पत्नी प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी बागका नगला तहसील कुम्हेर जिला डीग। (मृतक)
2. कपूरचंद पुत्र प्रभूदयाल
   जाति अहीर निवासी बागका नगला तहसील कुम्हेर जिला डीग।
3. मछला पुत्री प्रभूदयाल पत्नी दाऊजी
4. वीरो पुत्री प्रभूदयाल पत्नी भगवानसिंह
   जाति अहीर निवासी ग्राम पथवारी तहसील कामां हाल निवासी फरीदाबाद हरियाणा।
5. समता पुत्री प्रभूदयाल पत्नी जगदीश जाति अहीर निवासी ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर।
6. मोटी पुत्री रतनसिंह पत्नी रघुवीर सिंह जाति अहीर निवासी बागका नगला तहसील कुम्हेर जिला डीग। **(विधिक प्रतिनिधि व वारिस मृतक प्रतिवादी सं0 1)**
7. रतनसिंह पुत्र मूलाराम जाति अहीर निवासी लुहेसर तहसील कामां–मृतक
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कामां जिला डीग।
9. तुलाराम पुत्र जल्ली जाति अहीर निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामां

.....प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टान

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 141/2003 बउनवानी विनोद कुमार बनाम निर्मला वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कामां दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री ओमप्रकाश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 9 श्री अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 04.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा मु.स. 141/2003 बउनवानी विनोद कुमार बनाम निर्मला बगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तग्रत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 262/0.18 वाके ग्राम रावतपुरा तहसील कामां एवं खसरा नम्बर 248/0.83, 384/0.60, 78/0.32, 114/0.32 हैक्टर वाके ग्राम लुहेसर तहसील कामां में स्थित है। उक्त विवादित आराजी मुत0 हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्मिलित है। वादी का दत्तक पिता पांच भाई (रतन सिंह, जल्ली, रूपराम, रामहेत व लालाराम) हैं। मूला की मृत्यु

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

के बाद आराजी इन पांचों भाईयों के नाम आई जिसका उन्होंने बंटवारा करके आराजी मुत0 को वादी के दत्तक पिता प्रतिवादी नं० 3 को बटवारे में दिया। प्रतिवादी नं0 3 ने दिनांक 09/07/1997 को आराजी मुतदाविया का बयनामा प्रतिवादी नं० 1 व 2 के पक्ष में तहरीर कराकर पंजीकृत करा दिया जबकि प्रतिवादी नं० 1 व 2 इसकी पुत्रियां है और प्रतिवादी नं0 1 व 2 गांव में भी नहीं रहती है। बयनामा में कोई रकम का लेन देन नहीं हुआ। उक्त बयनामा केवल वादी के अधिकारों को समाप्त करने के लिये किये गये है। इसलिए वादी इन बयनामो को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करा पाने का अधिकारी है। आराजी मुतदाविया में वादी का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी नं० 3 ने गैरकानूनी रूप से बेचान कर दिया है। इस कारण वादी आराजी का विभाजन करा पाने का अधिकारी है। दौराने दावा प्रतिवादी नं० 1 ने आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा को बिना किसी अधिकार के दिनांक 13/11/1997 को प्रतिवादी नं० 5 को बिना कोई रकम लिये बेचान कर दिया है। आराजी पर प्रतिवादी नं० 1 का कोई कब्जा नहीं है। इसलिये प्रतिवादी नं0 5 को किया गया बयनामा धारा 52 भारतीय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत प्रभावहीन है और कोई महत्व नहीं रखता है। प्रतिवादी नं० 2 ने वादी के पिता प्रहलाद को कराये गये बयनामा के बारे में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस प्रकार वादी ने अपने वाद में निवेदन किया कि विवादित आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । वादी के हिस्से के जो बयनामा प्रतिवादी नं० 3 ने प्रतिवादी नं० 1 व 2 के पक्ष में तहरीर कराकर पंजीकृत करा दिये है वे वादी के 1/2 हिस्से तक प्रभावहीन व शून्य एवं प्रतिवादी नं० 1 ने प्रतिवादी नं0 5 को जो दिनांक 13/11/1997 एक को बयनामा दौराने मुकदमा कराया है वह प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी को जरिये समन वास्ते जबाब हेतु तलब किया गया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.07.2024 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादी अस्वीकार कर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 9 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गुप्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।
4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट वादी, प्रतिवादी सं0 3 के यहाँ गोद आया हुआ था जिसका पंजीकृत गोदनामा दिनाँक 19/03/1997 को तहरीर व तस्दीक हुआ है जिसमें प्रतिवादी सं0 3 ने वादी को गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया है। विवादित आराजी ख०नं0 262/0.18, बाके ग्राम रावतपुरा तहसील कामाँ व खसरा नंबर 248/0.46, 384/0.60, 78/0.32.114/0.32 बाके ग्राम लुहेसर तहसील कामाँ स्थित है। उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 3 को उसके भाईयो के भाई बट में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं0 3 आपस में 5 भाई रतनसिह, जल्ली, रूपा, रामहेत व लालाराम थे। उक्त विवादित आराजी इनके पिता मूला से विरासतन प्राप्त हुई है और पैत्रिक आराजी है और प्रतिवादी सं0 3 के साथ वादी का उक्त विवादित आराजी में पुत्र होने के नाते कोपार्सनर की हैसियत से 1/2 हिस्सा में हित निहित है और वादी प्रतिवादी सं0 3 के साथ संयुक्त रू॰ से आराजी पर काबिज है परंतु प्रतिवादी सं03 ने बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के महज वादी अपीलांट को, विवादित आराजी में निहित अधिकारो से वंचित करने की नीयत से दिनाँक 09/07/1997 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 निर्मला व मोटी जो कि उसकी पुत्रीयों व वादी की बहिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

है के हक में बिना किसी प्रतिफल के बयनामा पंजीबद्ध करा दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ग्राम लुहेसर में भी नही रहती थी और ना ही उनको उक्त बयनामा से कोई अधिकार प्राप्त होते है। सुयोग्य अदालत तहत ने अपने निर्णय व डिक्री दिनाँक 22.10.2002 से वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पो० सं० 5 ने अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की गयी जिस पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करते हुये पत्रावली पुनः साक्ष्य लेकर निर्णीत करने हेतु सुयोग्य अदालत तहत मे प्रतिप्रेषित कर दी जिस पर दावा संख्या 141/2003 दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गयी दौराने दावा प्रतिवादी सं0 2 मोटी ने अपना जवाब दावा पेश कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया चूँकि दौराने दावा वादी स्वयं बालिग हो चुका था इसलिये नेकष्ट फ्रेन्ड के स्थान पर स्वयं की ओर से कार्यवाही की अनुमति प्राप्त कर अपनी ओर से वकालत नामा पेश किया व साक्ष्य में अपने व्यान लेखबद्ध कराये प्रतिवादीगण की ओर से कोई नवीन साक्ष्य पेश नही की गयी दौराने विचारण प्रतिवादी सं0 1 निर्मला की मृत्यु हो गयी जिसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में होनेक कारण उसके वारिसान को रिकोर्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही नही की गयी तथा प्रतिवादी सं0 1 के किसी भी वारिसान को रिकोर्ड पर नही लिया गया। अदालत तहत ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व इस ओर कतई ध्यान नही दिया कि वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादी पूर्व में डिक्री किया गया है उसके उपरांत पत्रावली पर ऐसी कोई नवीन साक्ष्य नही आयी है कि वादी का दावा खारिज किया जा सके तथा दौराने दावा प्रतिवादीसं 01 की मृत्यु हो गयी और अदालत तहत द्वारा उसके वारिसान को रिकोर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही किये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध दावा फैसल किया गया है। अदालत तहत ने तनकी सं01 का निर्णय विरूद्ध अपीलांट वादी करने में भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है अदालत तहत ने इस तथ्य की ओर ध्यान नही दिया कि गोदनामा पंजीबद्ध दस्तावेज है और हर पंजीबद्ध दस्तावेज के संबंध में कानूनन यह उपधारणा की जानी है कि दस्तावेज सही प्रकार से नियमानुसार तहरीर होकर पंजीबद्ध हुआ है और कानूनन पंजीबद्ध दस्तावेज को साबित कराने कि लिये किसी भी प्रमाणिक साक्षी का साक्ष्य लेखबद्ध कराया जाना आवश्यक नही है इसके अलावा गोद लेने वाले व्यक्ति प्रतिवादी सं0 3 ने भी इकवाल दावा पेश कर वादी को गोद लेने के तथ्य को स्वीकार किया है और वादी के नेस्ट फ्रेन्ट के रूप में उसके ओरस पिता प्रहलाद सिंह भी पी.डी. 01 के रूप मे परीक्षित हुये है। उन्होने भी गोदनामा को अपने बयानो से साबित किया है और कथन किया कि वादी को प्रतिवादी सं0 3 ने गोद लिया था और गोद लेने से तीन–चार साल पूर्व से ही वह अपने दत्तक पिता के पास रह रहा था इसके उपरांत भी स्वयं प्रतिवादी सं. 02 ने भी वादी को गोद लेने के तथ्य का खन्डन नही किया है। इस संबंध में वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार किया है प्रतिवादी सं01 निर्मला प्रकरण में बावजूद तामील हाजिर नहीं हुई इसलिये उसकी ओर से भी यह तथ्य स्वीकृत तथ्य की तारीफ में आता है और प्रतिवादी सं0 3 के नाम जो शेष राजस्व भूमि उसकी मृत्यु के समय उसके नाम थी उस पर विरासतन वादी व प्रतिवादी सं01 व 2 का नाम दाखिल खारिज स्वीकृत होकर जमांबदी में अंकन हुआ है। केवल इस कयास के आधार पर कि विनोदकुमार रतन सिंह के दाह संस्कार में नही पहुंचा और गोद लेने की रस्म के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य नही है, के आधार पर तनकी सं01 का निर्णय विरूद्ध अपीलांट वादी फैसल की गयी है जो हर सूरत में निरस्तनीय है। अदालत तहत में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि विवादित आराजी प्रेतिवादी सं03 को पैत्रिक आराजी के विभाजन में भाई बट मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्राप्त हुई है और पैत्रिक आराजी होने से वादी अपने पिता के साथ कोपासर्नर की हैसियत से धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के तहत समान भाग का भागीदार है। तनकी संख्या 3 एक कानूनी तनकी है धारा 52 टी पी एक्ट में यह स्पष्ट है कि दौराने दावा यदि कोई अंतरण किसी पक्षकार द्वारा किया गया है तो उस पक्षकार पर डिक्री उसी प्रकार वाध्यकारी है जैसे मूल पक्षकार पर उसका प्रभाव है। तहत न्यायालय ने यह मानकर कि दावा रिमान्ड होने के बाद जब पुनदर्ज रजिस्टर हुआ तो उसमे कोई स्थगन आदेश जारी नही किया गया है इसलिये धारा 52 टी पी एक्ट. प्रभावी नही होता है कानून के मान्य सिद्धान्तो के विपरीत है। स्थगन आदेश जारी अथवा जारी नाहोने से धारा 52 टीपी एक्ट के प्रावधानो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है इसके अलावा जो प्रकरण अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड होकर आता है तो दावा में पूर्व की स्थिति ही प्रभावी हो जाती है। इसलिये तनकी संख्या 3 का निर्णय सुयोग्य अदालत तहत ने विधि विरूद्ध किया है और निर्णय व डिक्री काबिले खारिजी के है। तनकी संख्या 4 को यह मानकर कि तनकी संख्या 1,2 व 3 विरूद्ध वादी फैसल की गयी है इसलिये तनकी संख्या 4 भी विरूद्ध वादी तय की गयी है जो कानूनन गलत है। वादी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादी अपने दत्तक पिता प्रतिवादी सं03 के साथ उसके जीवनकाल से ही काबिज काश्त था और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कब्जा बयनामो से प्राप्त नही हुआ था इस संबंध में प्रेतिवादी डी.डब्लू. 1 की साक्ष्य में यह आया है कि प्रतिवादी सं0 3 मृत्युपरत विवादित आराजी पर काबिज काश्त था यानि वाद दायर करते समय विवादित आराजी पर वादी व प्रतिवादी सं0 3 का कब्जा काश्त था और यही तथ्य लेकर वादी अपने वादपत्र मे आया है। तनकी संख्या 5 न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तहत न्यायालय ने यह बिन्दु इस आधार पर कि प्रतिवादीसं 02 मोटी ने वादी के ओरस पिता प्रहलाद के पक्ष मे जो वयनामा दौराने दावा कराया उसका उचित व प्रतिवादी सं 01 ने जो बयनामा व वहक प्रतिवादी सं. 05 कराया है उसे अनुचित कहता है इसलिये दावा दूषित होने से न्यायालय किसी भी बयनामा को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने का क्षेत्राधिकार नही है यह फाइन्डिग बिल्कुल विधि विरूद्ध है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस विषय वस्तु पर है अथवा नही यह देखनाहोता है चूकि वयनामो को नल एंड वोइड घोषित करने के साथसाथ न्यायालय सेवादी ने विवादित आराजी में अपने हिस्सा 1/2 की उदघोषणा हेतु भी, दादरसी चाही गयी है इसलिये न्यायालय श्रीमान को इस प्रकरण की सुनवाई के पूर्ण अधिकार हॉसिल है। सुयोग्य अदालत तहत ने अपीलांट की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर विश्वास ना कर एवं रेस्पो० की बनावटी साक्ष्य पर विश्वास कर अपीलांट का दावा खारिज करने में भारी विधिक त्रुटी की है जबकि अपीलांट की ओर प्रस्तुत साक्ष्य पूर्णतया विश्वसनीय व अखण्डनीय रही है। तहत न्यायालय ने पत्रावली का समुचित अध्ययन किये बिना ही निर्णय पारित किया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर सुयोग्य विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां व उनवानी विनोद कुमार बनाम निर्मला व अन्य सम्बन्धित राजस्व वाद सं0 141/2003 अपास्त फरमाया जाकर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी/अपीलान्ट को मृतक प्रतिवादी रतनसिंह ने कभी गोद ही नहीं लिया था। यदि न्यायालय द्वारा गोद भी मान लिया जाता तो केवल गोदनामा से ही वादी दत्तक पुत्र के अधिकार नहीं मिल जाते हैं। गोद की रश्म नहीं होने की स्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में गोदनामा कोई महत्व नहीं रखता है। वादी को अपने नाम खातेदारी घोषित करा पाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 3 को आराजी मुत0 को बय करने का पूर्ण अधिकार था, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में बयनामा प्रतिफल लेकर कराये गये हैं तथा मौके पर कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को दिया गया। वादी/अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं वादी का आराजी मुत0 में कोई हक नहीं बनता है इसलिए वादी को बयनामा शून्य घोषित कराने का कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का सन् 1976 से शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा था। विवादित आराजी मुतदाविया पर वादी/अपीलान्ट का कोई भी कब्जा नहीं है वह अपने पिता प्रहलाद के घर ही कस्बा कामां में रहता है और गोदशुदा लड़के को गोद लेने वाले के साथ सम्पत्ति में उसके जीते जी कोई हित पैदा नहीं होते हैं क्योंकि वह कोपार्सनर की तारीफ में नहीं आता है। प्रतिवादी सं. 3 का विवादित आराजी में सम्पूर्ण अधिकार निहित है। इस प्रकार वादी/अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई घोषणा कराने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 1996 RRD 521, 2024(2) RRT 845, 2021(2) CCC 407 1991 RRD 426 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री दिनांक 26.07.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 27.09.2024 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नं० 1 :– आया आराजी मुतदाविया मूला की खातेदारी की आराजी थी और वादी को रतन सिंह ने गोद लिया था तथा आराजी संयुक्त परिवार की सहभागीदारी की सम्पत्ति थी।

तनकी नं0 2 :– आराजी मुतदाविया आपसी बंटवारे में वादी के दत्तक पिता के बंट में आई और वादी का पक्ष में 1/2 हिस्सा निहित था तथा 1/2 हिस्से पर हिन्दू परिवार कोपार्सनर के रूप में आराजी मुतदाविया अपने नाम करा पाने का अधिकारी है।

तनकी नं० 3 :– आया प्रतिवादी नं० 1 ने जो बयनामा दिनांक 13/11/97 को प्रतिवादी नं0 5 को कराया है वह धारा 52 भारतीय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत प्रभावहीन है और महत्व नहीं रखता है।

तनकी नं0 4 :– आया वादी प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

तनकी नं0 5 :– आया न्यायालय हाजा को मुकदमा सुनने का अधिकार हासिल नहीं है।

तनकी नं0 6:– दादरसी ।

इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा का निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी वाद में पूर्व में दिनांक 22.10.2002 को निर्णय एवं डिक्री पारित किए जाने पर प्रतिवादी सं. 5 तुलाराम पुत्र जल्ली द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गयी। न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.06.2003 द्वारा अपील आंशिक रुप से स्वीकार कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गयी कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायलय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्रावली को पुनः दिनांक 09.07.2003 को दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश किया गया जो दिनांक 21.10.2005 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। जिसकी पालना में वादी द्वारा संशोधित दावा दिनांक 09.11.2005 को पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 5 तुलाराम द्वारा दिनांक 16.12.2006 को जबाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 मोटी पुत्र रतन सिंह द्वारा दिनांक 16.04.2010 को इकबालदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 4 द्वारा जबाबदावा पेश किए जाने या न किए जाने बाबत कोई अंकन नहीं है एवं न ही उनका जबाबदावा बन्द किया जाने से सम्बन्धित कोइ अंकन अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2012 को तनकीयात कायम की गयी। साक्ष्य वादी में दिनांक 09.05.2012 को पी.डब्लू–1 विनोद कुमार, पी.डब्लू–2 मुकेश एवं पी. डब्लू–3 शिवचरन के शपथ–पत्र पेश किए गए। दिनांक 08.08.2018 को पी.डब्लू–1 वादी मुकेश कुमार से प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह की गयी। पी.डब्लू–1 वादी विनोद कुमार के मजीद बयानों में वादपत्र के सबूत में नकल जमाबन्दी सं. तत्कालीन हाल EX-1 जमाबन्दी सं. 2020 से 2023 EX-2, नकल जमाबन्दी सं. 2053–56, EXP-3 नकल जमाबन्दी सं. 2033 से 36 EXP-4 नकल बयनामा रतन बनाम निर्मला मोटी, दिनांक 10.07.1997 EXP-5 नकल बयनामा निर्मला बनाम तुलाराम दिनांक 13.11. 1997, EXP-6 नकल बयनामा मोटी बनाम प्रहलाद EXP-7 पेश किए जाना अंकित है। लेकिन दस्तावेजात पर दिनांक 08.08.2018 को कोई प्रदर्श अंकित नहीं किए गए है।

दिनांक 17.01.2019 को प्रतिवादी सं. 5 की ओर से शपथ–पत्र डी.डब्लू–1 पेश किया गया जिससे दिनांक 24.01.2019 को वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में बयनामा दिनांक 22.10. 1999 प्रदर्श D-1 पेश करना अंकित किया है लेकिन DW-1 तुलाराम की मुख्य परीक्षा शपथ–पत्र में कोई भी दस्तावेज पेश करना अंकित नहीं है।

प्रकरण में दिनांक 09.11.2005 को संशोधित दावा पेश किया गया था इसलिए सम्पूर्ण विचारण नये सिरे से इस संशोधित दावे को मानकर ही किया जाना था। प्रतिवादी सं. 2 व 5 द्वारा जबाबदावा पेश करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2012 को दादरसी सहित कुल 6 तनकीयात कायम की गयी। संशोधित वादपत्र में वादी द्वारा निम्नानुसार अनुतोष मांगा गया था–

10. यह कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(अ) यह कि आराजी खसरा नम्बर 262/0.18 वाके ग्राम रावतपुरा व खसरा नम्बर 248/0.83, 204/0.60, 78/0.32, 114/0.32 वाके ग्राम लुहेसर तहसील कामां पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और आराजी मुतदाविया के जो बयनामें प्रतिवादी ख.न. 3 ने 1 व 2 को तथा प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 5 को पंजीकृत करा दिए हैं वे शून्य व प्रभावहीन घोषित किए जावे तथा प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन किया जाकर वादी के नाम खातेदारी काश्तकारी दर्ज किए जावे।

(ब) XXX

(स) यह कि प्रतिवादी नं. 1 व 2 व 5 को जरिये डिक्री हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी मुतदाविया को दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुन्तकिल न करें एवं कब्जे काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वादी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करें तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हकूक वादी जायल हो।

(द) यह है कि खर्चा मुकदमा जो भी न्यायोचित मुफीद हो प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.03.2012 पर तनकी सं. 2 निम्न प्रकार निर्मित की गयी थी–

2. आया आराजी मुतदाविया आपसी बंटवारे में वादी के दत्तक पिता के बंट में आई और वादी के पक्ष में 1/2 हिस्सा निहित था परन्तु अब सालिम हिस्से पर हिन्दू परिवार के कोपार्सनर के रुप में आराजी मुत० को अपने नाम करा पाने का अधिकारी है।

लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी सं. 2 में बिना किसी विधिक आदेश के परिवर्तन किये बिना अपने निर्णय में तनकी सं. 2 निम्न प्रकार अंकित की है :–

तनकी सं. 2 :– आराजी मुतदाविया आपसी बंटवारे में वादी के दत्तक पिता के बंट में आयी और वादी के पक्ष में 1/2 हिस्सा निहित था तथा 1/2 हिस्से पर हिन्दू परिवार कोपार्सनर के रुप में आराजी मुतदाविया अपने नाम करा पाने का अधिकारी है।

इसी प्रकार तनकी सं. 3 निम्न प्रकार निर्मित की गयी थी –

3. आया प्रतिवादी नं. 1 ने जो बयनामा दिनांक 13.11.97 को प्रतिवादी नं. 5 को कराया है वह धारा 52 भारतीय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावहीन है और महत्व नहीं रखता है।

यह तनकी पत्रावली में पेश तरमीम दावा दिनांक 15.05.1998 में वादी द्वारा मांगे गए अनुतोष के बिन्दु सं. 6(अ) के अनुसार निर्मित की गयी है जबकि प्रकरण में दिनांक 09.11.2005 को संशोधित दावा पुनः पेश हो चुका है। जिसके आधार पर ही नये सिरे से दावा एवं जबाबदावा के आधार पर तनकी कायम की जानी चाहिए थी एवं संशोधित दावा दिनांक 9.11.2005 के अभिकथनों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि संशोधित दावा की मद सं. 5 में यह अंकन है कि "प्रतिवादी सं. 3 को आराजी मुतदाविया को समस्त को बेचने का अधिकार नही था परन्तु प्रतिवादी नं. 3 ने दिनांक 09.7.1997 को आराजी मुतदाविया का बयनामा प्रतिवादी नं 1 व 2 के पक्ष में तहरीर कराकर पंजीकृत करा दिया। जबकि प्रतिवादनियां नं. 1 व 2 उसकी पुत्रियां है और प्रतिवादी नं. 1 ग्राम लुहेसर में नही रहती है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने न तो बयनामा की रकम दी और न मौके पर कब्जा लिया। बयनामा मात्र वादी के अधिकारों को समाप्त करने की गर्ज से कराये गयें हैं। इसलिए वादी इन बयनामों को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करा पाने का अधिकारी है। मद सं. 6(अ) में "यह अंकन है कि दौराने दावा प्रतिवादी नं. 1 मे आराजी मुत० के 1/2 हिस्से को बिना किसी अधिकार के दिनांक 13.11.1997 को प्रतिवादी नं. 5 को बिना कोई जरे रकम लिए बेचान कर दिया है। आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 का कोई कब्जा नहीं था इसलिए प्रतिवादी नं. 5 को किया गया बयनामा धारा 52 भारतीय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम प्रभावहीन है और कोई महत्व नहीं रखता है। इसलिए उक्त बयनामें को वादी नल एण्ड वाइड करा पाने का अधिकारी है।

वादी ने समग्र रुप से अनुतोष के बिन्दु सं. 10(अ) में निम्न प्रकार अनुतोष मांगा है :–

(अ) यह कि आराजी खसरा नम्बर 262/0.18 वाके ग्राम रावतपुरा व खसरा नम्बर 248/0.83, 204/0.60, 78/0.32, 114/0.32 वाके ग्राम लुहेसर तहसील कामां पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और आराजी मुतदाविया के जो बयनामें प्रतिवादी ख.न. 3 ने 1 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2 को तथा प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 5 को पंजीकृत करा दिए हैं वे शून्य व प्रभावहीन घोषित किए जावे तथा प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन किया जाकर वादी के नाम खातेदारी काश्तकारी दर्ज किए जावे।

इस प्रकार तनकी सं. 3 पूर्णरुप से सही निर्मित नहीं की गयी क्योंकि वादी का अनुतोष बयनामें प्रतिवादी सं. 3 ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को तथा प्रतिवादी नं. 1 ने प्रतिवादी नं. 5 को पंजीकृत करा दिये है, वे शून्य व प्रभावहीन घोषित कराना चाहने से उसी अनुरुप निर्मित करनी चाहिए थी।

अधीनस्थ न्यायालय को संशोधित दावा दिनांक 09.11.2005 एवं प्रतिवादी सं. 5 द्वारा दिनांक 16.12.2006 को पेश जबाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम करनी चाहिए थी क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 अनुपस्थित रही है एवं प्रतिवादी सं. 2 ने इकबाल दावा पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में दिनांक 21.11.2000 को निर्मित तनकीयात को ही हूबहू वर्तमान में दिनांक 02.03.2012 को तनकी अंकित कर दी गयी जो त्रुटिपूर्ण हैं संशोधित दावा पेश होने के उपरान्त उसी अनुसार प्रतिवादीगण को जबाबदावा पेश करना होता है एवं उसके उपरान्त उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ने प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार करते समय अपने आदेश दिनांक 21.10.2005 में स्पष्ट रुप से अंकन किया है कि "प्रकरण में रतन सिंह प्रमुख पुरुष है जिसका देहावसान हो गया है और संशोधन उसके दत्तक पुत्र (वादी) द्वारा चाहा गया है। अतः संशोधित तनकीयात भी इस नवीन संशोधन के उपरान्त बनेगी उनको प्रमाणित करने एवं समुचित साक्ष्य भी उभयपक्ष प्रस्तुत कर सकेगें। अतः संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो नवीन तनकी बनेगी उनकी विधिक तनकीयात पर भी बहस होगी और इस बाबत भी विवाद्यक बनाये जाकर युक्तियुक्त निर्णय पारित किया जायेगा।" लेकिन इसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो संशोधित दावा दिनांक 9.11.2005 एवं उसका पेश जबाबदावा जो प्रतिवादी सं. 5 द्वारा पेश किया गया था के आधार पर तनकीयात निर्मित की गयी है एवं न ही उसके बाद विधिवत रुप से पक्षकारान द्वारा पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श ही अंकित किए गए। पूर्व में निर्णित तनकीयात को ही वर्तमान दावे में अंकित कर दावा निस्तारित कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक कानून की पालना नहीं की गयी है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री हस्तक्षेप योग्य पाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय को निम्न निर्देश दिये जाते है कि :–

1. संशोधित दावा दिनांक 09.11.2005 एवं उसका पेश जबाबदावा के आधार पर नवीन रुप से विधिवत सही–सही तनकीयात कायम करें।
2. नवीन निर्मित तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य लेवे।
3. विधिवत रुप से उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित करें।
4. विधिवत उभयपक्ष की समुचित सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

9. अतः अपील अपीलान्ट उपर्युक्त विवेचन के क्रम में आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 को अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त विवेचनानुसार विधिवत रुप से सही–सही तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की साक्ष्य सबूत लेकर, प्रक्रियात्मक कानून

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की पालना करते हुए विधिवत रुप से नये सिरे से पुनः निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां के समक्ष दिनांक 13.07.2026 को पेश होवें।

10. निर्णय आज दिनांक 04.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर